इसे वेबसाइट**www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026—चैत्र 20, शक 1948

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2026

एफ 30—8—2002—दस—3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :—

"16. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति.—ऐसे प्रकरणों में, जहां अपराध में अभिग्रहित वनोपज शासकीय संपत्ति नहीं है, या जहां वह शासकीय संपत्ति है उसका मूल्य रुपए एक हजार से कम है और यदि अपराधी ने पहली बार अपराध कारित किया हो तो प्रकरण, रुपए दस हजार की राशि या यान का मूल्य जो भी कम हो, के भुगतान पर उप—वन मण्डल अधिकारी से अनिम्नपद श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा. अपराध प्रशमन पश्चात अपराधी के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी. अभिग्रहित वनोपज, यदि वह शासकीय संपत्ति नहीं है या जहां वह शासकीय संपत्ति हो उसके मूल्य का भुगतान कर देने के पश्चात, निर्मुक्त (मुक्त) की जा सकेगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 7th April 2026

F 30-8-2002-X-3.–In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

"16. Power to compound offences.-In cases, where the forest produce seized in an offence is not Government property or where it is Government property, its value is less than Rupees One Thousand and if the offender has committed the offence for the first time, the case may be compounded by an Officer not below the rank of Sub-Divisional Forest Officer on payment of an amount of Rupees Ten Thousand or the assessed value of the vehicle, whichever is less. No further action shall be taken against the offender after the compounding of the offence. The seized forest produce may be released if it is not Government property, after payment of the value thereof."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANKIT PANDEY, OFFICER ON SPECIAL DUTY.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.